



बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

एतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉ मार्ग, पटना-800 014
संख्या व.सं/104/2022-608

02.09.23

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल,
पथ निर्माण विभाग, गधेपुरा

पटना 14, दिनांक- 25/08/2023

विषय - सुपौल जिलान्तर्गत NH-327AD के सरायगढ़-गणपगंज 0.00-10.672 कि०मी० पथ
बौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.1799 हे० वन भूमि
अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग - भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का
पत्रांक FP/BR/Road/157210/2022/1368 दिनांक 22.08.2023 (छायाप्रति संलग्न)।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भारत
सरकार ने विषयाधीन परियोजना के निर्माण हेतु 0.1799 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन प्रस्ताव पर दो भाग
(भाग-A एवं B) में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग-A में 1-6 शर्तें
तथा भाग-B में 1-10 शर्तें अधिरोपित है जिसका कंडिकावार अनुपालन आपके स्तर से अपेक्षित है।

2. सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग-A के शर्त संख्या 1 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं
वर्तमान मजदूरी पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रु० 8,65,161/- (रुपये आठ लाख पैसठ हजार एक सौ
एकसठ) मात्र प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल द्वारा प्राप्त हुआ है।

उक्त राशि का आकलन वर्तमान मजदूरी दर रु० 388/प्रतिमानव दिवस पर किया गया है।
श्रम ससाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के
फलस्वरूप क्षतिपूरक वनीकरण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतये होगा।

3. सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के भाग-A के शर्त संख्या 2 के आलोक में परियोजना निर्माण के क्रम
में 0.1799 हेक्टेयर अपयोजित होने वाली वन भूमि का NPV की राशि 13.57110 लाख रुपये प्रति
हेक्टेयर की दर से कुल रु० 2,44,144/- (रुपये दो लाख चौवालीस हजार एक सौ चौवालीस) मात्र
NPV के मद में प्रयोक्ता एजेन्सी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध
कराएगी।

Ms. Midha
12/09/23



Rajesh ji/ Shrinath ji
09/09/2023

4. उपर्युक्त CA एवं NPV मद की कुल राशि रु० 11,09,305/- (रुपये ग्यारह लाख नौ हजार तीन सौ पाँच) मात्र को मंत्रालय के वेब-साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांसफर कर राशि जमा कराई जाय।

5. उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को UTR No एवं दिनांक के साथ e-challan की मूल प्रति दी जाय।

6. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र के भाग-A में सन्निहित 1-7 शर्तें तथा भाग-B में सन्निहित 1-10 शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि भारत सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापक- व.सं./104/2022-608 दिनांक-25/08/2023

प्रतिलिपि- वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल/वन संरक्षक, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ को सानुलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।